अंक ३९

नई दिल्ली, मई २०१३

लोक पुलिस

मासिक पत्रिका

सी.एच.आर.आई.

जनतांत्रिक पुलिस के लिए

'फील्ड अधिकारियों को दबाव रहित, स्वतन्त्र व अनुकूल वातावरण प्रदान करें'

श्री भगवान लाल सोनी

राजस्थान पुलिस अकादमी में हाल ही में निदेशक का पद सम्भालने वाले, अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक श्री भगवान लाल सोनी से पुलिसिंग एंव प्रशिक्षण सम्बन्धित विभिन्न मुद्दों पर ज़ीनत मलिक द्वारा ई–मेल के माध्यम से लिया गया साक्षात्कार यहाँ प्रस्तुत है। इसमें प्रशिक्षण कार्य योजना एंव पुलिसिंग के अन्य पहलुओं पर विचार व्यक्त किया गया है।

सर, सर्वप्रथम अपने कार्यकाल तथा नियुक्तियों के बारे में संक्षिप्त जानकारी दें? साथ ही, एक प्रशिक्षण संस्थान के निदेशक पद पर नियुक्ति को आप अपने लिए किस रूप में देखते हैं तथा आपके विचार में जनतांत्रिक पुलिसिंग के विकास में प्रशिक्षण संस्थान का क्या योगदान हो सकता है?

राष्ट्रीय पुलिस अकादमी में प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात् मैं जयपुर, कोटा, बूँदी, श्रीगंगानगर, जैसलमेर, भीलवाड़ा, भरतपुर व जयपुर शहर में कार्यरत रहा जहाँ आमजन की समस्यायें सुलझाने का खूब अवसर मिला, आतंकवाद, सीमापार से हो रही तस्करी एवं साम्प्रदायिक उन्माद व शहरीकरण इत्यादि से सम्बन्धित चुनौतियों में कार्य करने का अवसर मिला। तत्पश्चात् भारत सरकार में प्रतिनियुक्ति पर सी.बी.आई. में पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू व कश्मीर तथा चण्डीगढ़ रीजन का प्रभारी रहा। जिसमें राष्ट्रीय स्तर के विशिष्ट व बहुचर्चित मामलों का अनुसंधान करने का अवसर प्राप्त हुआ। राजधानी जयपुर में पहले आई.जी. रेंज व फिर प्रथम पुलिस कमिश्नर के रूप में नई संस्था खड़ी करने का सौभाग्य मिला जिसका बहुत ही सुखद व संतुष्टिपूर्ण अनुभव रहा।

प्रशिक्षण संस्था के निदेशक पद पर नियुक्ति पुनः एक बहुत सुखद अनुभव के रूप में मिली है, जहाँ पुलिस सेवा की पीढ़ी निर्माण का अवसर मिलेगा। मेरे पूर्ववर्ती निदेशक महोदय डा. भूपेन्द्र सिंह ने पाँच वर्ष से अधिक समय निदेशक पद पर रहकर जो अति उत्कृष्ट कार्य किया है उसे आगे बढ़ाना एक सुखद चुनौतीपूर्ण कार्य होगा। जनतांत्रिक पुलिसिंग का विकास करना मेरी व्यक्तिगत रुचि रही है जिसको मूर्त रूप देने का सुअवसर मुझे मिला है।

आपके द्वारा राजस्थान पुलिस अकादगी में विभिन्न स्तरों पर प्रशिक्षण में किस प्रकार के बदलाव या नवाचार की योजना है?

राजस्थान पुलिस अकादमी में हर स्तर पर प्रशिक्षण में आमजन के प्रति पुलिस के व्यवहार को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की योजना है। नवीनतम कानूनी ज्ञान, वर्तमान की चुनौतियों से निपटने के लिए आवश्यक कार्यकौशल व दक्षता, हर परिस्थिति में धैर्य व साहस रखकर विवेकपूर्ण निर्णय लेना, टीम भावना को मजबूत करना इत्यादि पर ज़ोर देने की योजना है। पुलिसिंग के विभिन्न आयामों की एस.ओ.पी. (Standard Operating Procedure) बनाकर थाना स्तर पर भेजने की योजना है।

कई स्थानों पर थाना प्रभारियों को *प्रकाश सिंह के केस* में पुलिस सुधार पर उच्चतम न्यायालय के दिशा निर्देशों के बारे में जानकारी नहीं, क्या आपके विचार में थाना स्तर के पुलिसकर्मियों को इसकी जानकारी होनी चाहिए ताकि वे अपने लिए निश्चित कार्यकाल आदि की मांग कर सकें?

सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों की जानकारी देना तो ठीक है लेकिन मेरी राय में पुलिसकर्मियों द्वारा किसी भी तरह की मांग रखना एक महत्वपूर्ण शर्त नहीं होनी चाहिये। वरिष्ठ अधिकारियों का यह नैतिक दायित्व है कि वे दबाव अपने ऊपर लेकर फील्ड अधिकारियों को दबाव रहित, स्वतन्त्र व अनुकूल वातावरण प्रदान करें जिससे वे सकारात्मक रहकर जनता की समस्याओं का समाधान कर सकें। वरिष्ठ अधिकारी निष्पक्ष व ईमानदार रहकर राज्य सरकार से पुलिस बल के लिए पर्याप्त साधन दिला सकते हैं। खास जरूरत है कि उनकी गहरी प्रतिबद्धता राज्य के पुलिस बल के लिए व राज्य की जनता के लिए हो। निचले स्तर पर संसाधन उपलब्ध करना पूर्णतः उच्चाधिकारियों का दायित्व है।

राजस्थान में हाल ही में १०,००० पुलिसकर्मियों की भर्ती की गई है और १०,००० अन्य पुलिसकर्मियों की भर्ती होने वाली है, क्या आपके विचार में प्रदेश में उन्हें प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए उचित अवसंरचनाएं उपलब्ध हैं? नए भर्ती हुए पुलिसकर्मियों को उत्कृष्ट स्तर का प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए आपकी रणनीति क्या होगी?

राजस्थान की पुलिस प्रशिक्षण संस्थायें पूरे भारतवर्ष में अपनी एक विशिष्ट पहचान रखती हैं। यह सही है कि वर्तमान में हमारी प्रशिक्षण क्षमता करीब पाँच हजार की है जो कि दो वर्ष पूर्व केवल तीन हजार ही थी। प्रशिक्षण क्षमता बढाने में बहुत अधिक संसाधन यथा मानव संसाधन, भवन, प्रशिक्षण सामग्री इत्यादि की आवश्यकता होती है, जिसकी पूर्ति में समय लगता है। यदि चरणबद्ध तरीके से वर्तमान के प्रयास जारी रहें तो वर्ष २०२० तक हमारी प्रशिक्षण क्षमता दस हजार से बारह हजार तक हो सकती है जिसमें पूर्ण गुणवत्ता भी बनी रहे।

निचले स्तर के पुलिसकर्मियों के रुझान में बदलाव के लिए पुलिस नेतृत्व और प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा क्या विशेष कदम उठाने की आवश्यकता है?

निचले स्तर के पुलिसकर्मियों के रुझान में बदलाव के लिए पुलिस नेतृत्व व प्रशिक्षण संस्थाओं को मानसिकता एवं व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाने के लिए सामान्य से कई गुना अधिक गंभीरता से कार्य करने की आवश्यकता है। आम पुलिस कर्मी १२ से १४ घण्टे काम करता है। होली, दिवाली, ईद व क्रिसमस त्योहारों पर विशेष रूप से लगातार लम्बे समय तक मुश्किल ड्यूटी में रहता है परन्तु उसे उतना उचित सम्मान नहीं मिलता क्योंकि वह अपने व्यवहार व कार्यकुशलता में जाने अनजाने में ऐसी गलतियां कर लेता है जिससे वह आमजन से और दूर हो जाता है। ऐसी गलतियों का विश्लेषण किया जाना चाहिये तथा ऐसी गलतियां नहीं दोहराने हेतु सतत प्रशिक्षण दिया जाना चाहिये। "समस्या समाधान" पर जोर "आमजन को असुविधा न हो", "आमजन की अपेक्षाओं के अनुरूप" सामाजिक सरोकारों में आगे रहना, युवाओं को सकारात्मक दिशा देना, महिलाओं व बच्चों से अत्यन्त संवेदनशीलता से व्यवहार कर सदैव "पीड़िता" के साथ नजर आना, सदैव एक प्रशिक्षित पुलिस कर्मी के रूप में मुस्कराते हुए ड्यूटी करना इत्यादि पर विशेष बल दिये जाने की आवश्यकता है। हम राजस्थान पुलिस अकादमी में इन विषयों पर विशेष जोर दे रहे हैं।

क्या वर्तमान पुलिस प्रशिक्षण में कोई कमी है? यदि है तो क्यों है और इसे कैसे दूर किया जा सकता है?

वर्तमान पुलिस प्रशिक्षण में कोई विशेष कमी नहीं है, वर्तमान समय की आवश्यकताओं को देखते हुए जहाँ पुलिसकर्मियों की दक्षता, कार्य कौशल व नवीनतम कानूनों व तकनीकों पर जोर देने की आवश्यकता है वहीं दूसरी ओर विषम परिस्थितियों में भी धैयपूर्वक सद्व्यवहार करने पर विशेष जोर दिये जाने की आवश्यकता है। आधुनिक तकनीक को सबसे पहले प्रशिक्षण संस्थानों में उपलब्ध कराना चाहिये।

पुलिसिंग में नीति के स्तर पर कौन से क्षेत्र हैं जहाँ बदलाव की आवश्यकता है? अगर आपको बदलाव करने की खुली छूट हो तो आप पुलिस के कार्य निष्पादन को बेहतर करने के लिए किन बदलावों की सलाह देंगे?

पुलिसिंग में जहाँ एक ओर अनुसंधान को और अधिक स्वतन्त्र व निष्पक्ष बनाने की आवश्यकता है वहीं दूसरी ओर कानून व्यवस्था में ऐसे उपकरणों व संसाधनों की वृहद स्तर

शेष पृष्ठ ४ पर ......

बूझो और जीतो–१७

प्रिय पाठकों,

इस खण्ड में हम आपराधिक कानूनों में हुए नए संशोधनों और बाल यौन शोषण सम्बन्धी कानूनों से प्रश्न पूछ रहे हैं। दोनों नए और बेहद उपयोगी कानून हैं, इसलिए अधिक संख्या में इस प्रतिस्पर्धा में भाग लें।

हालांकि, इस बार भी पहले की ही तरह आपसे केवल ५ प्रश्न पूछे जाएंगे और पाँचों के सही उत्तर मिलने पर लकी ड्रॉ से विजेताओं का नाम निकाला जाएगा। यदि किसी के ५ से कम प्रश्नों के उत्तर सही हों तब उसे विजेता घोषित नहीं किया जा सकता है। इस कारण ऐसा सम्भव है कि किसी अंक में कोई भी विजेता न हो।

किसी अंक में पूछे गए प्रश्नों के उत्तर तीसरे महीने के अंक में प्रकाशित किये जाते हैं ताकि पाठकों को प्रविष्टियाँ भेजने के लिए प्र्याप्त समय मिले। २ सही जवाब भेजने वालों को ५०० रुपये पुरस्कार के रूप में डिमाण्ड ड्राफ्ट या चेक द्वारा भेजा जाता है और इन विजेताओं के नाम पत्रिका में प्रकाशित भी किये जाते हैं।

इस अंक के सवाल निम्नलिखित हैं:–

१. क्या किसी व्यक्ति को एक सत्रह वर्ष की लड़की के साथ संभोग करने के लिए बलात्कार का अपराधी माना जा सकता है?

२. सामूहिक बलात्कार के दोषी को कम से कम कितने वर्ष का दण्ड दिया जा सकता है?

३. 'स्टॉकिंग' को किस प्रावधान के अंतर्गत अपराध माना गया है? इसके लिए कम से कम क्या दण्ड निर्धारित किया गया है?

४. किसी १२ वर्ष के लड़के के साथ छेदक यौन प्रताड़ना के लिए क्या दण्ड दिया जा सकता है? क्या दण्ड में कोई अंतर होगा यदि यह अपराध एक १२ वर्षीय लड़की के साथ किया गया हो?

५. क्या यौन अपराध पीड़ित बच्चे को इसके आरोपी के साथ मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया जा सकता है? इससे सम्बन्धित प्रावधान में क्या कहा गया है?

बूझो और जीतो – १४ का परिणाम

दिसम्बर २०१२ अंक के परिणाम को इस अंक में प्रकाशित किया जा रहा है। इसमें पूछे गए प्रश्नों के उत्तर इस प्रकार हैं:–

१. दण्ड प्रकिया संहिता १९७३ की धारा २५२ के अनुसार यदि दोषी व्यक्ति न्यायालय में न्यायाधीश के समक्ष अपना गुनाह कबूल करता है तो न्यायाधीश उसके कथनों को लेखबद्ध करके उसी आधार पर उसे दोषी ठहरा सकते हैं।

२. दण्ड प्रकिया संहिता १९७३ की धारा २१६ के अनुसार कोई भी न्यायालय निर्णय सुनाये जाने से पूर्व किसी आरोप को परिवर्तित कर सकती है।

३. दण्ड प्रकिया संहिता १९७३ की धारा ४१६ के अनुसार गर्भवती स्त्री को मृत्यु दण्ड से दण्डित नहीं किया जा सकता है, यदि न्यायालय उचित समझे तो मृत्यु दण्ड को आजीवन कारावास में बदल सकता है।

४. दण्ड प्रकिया संहिता १९७३ की धारा ३३४ के अनुसार किसी व्यक्ति को मानसिक रूप से अस्वस्थ होने के कारण रिहा किया जा सकता है।

५. दण्ड प्रकिया संहिता १९७३ की धारा ३५७(३) के अनुसार किसी पीड़ित व्यक्ति को प्रतिवादी से मुआवजा या जुर्माना अदालत दिलवा सकती है और धारा ३५७ क के अंतर्गत सरकार द्वारा जिला विधिक सहायता प्राधिकरण के अंतर्गत इसी मकसद के लिए निर्धारित कोष से भी मुआवज़ा मांगने का अधिकार है।

विजेता

१. श्रीमति कुसुमलता पुरोहित, हेड कांस्टेबल, पौढ़ी, गढ़वाल, उत्तराखण्ड।

नोट : विजेता को पुरस्कार की राशी शीघ्र ही भेज दी जाएगी।

अपने पत्र हमें निम्न पते पर भेजें या या ईमेल करें–

जीनत मलिक
प्रधान सम्पादक, *लोक पुलिस*
कॉमनवेल्थ ह्यूमन राइट्स इनिशिएटिव
बी-११७, दूसरा तल, सर्वोदय एनक्लेव,
नई दिल्ली ११००१७, भारत
फोन : +९१-०११-४३१८०२००, ४३१८०२२५-२९९
फैक्स : +९१-०११-२६८६४६८८
ई-मेल : zeenatmalick@gmail.com
वेबसाइट : http://www.humanrightsinitiative.org

सॉफ्ट स्किल्स के अंतर्गत शामिल विषयों की रूपरेखा - प्रथम भाग

पिछले अंक में हमने देखा कि किस प्रकार "सॉफ्ट स्किल्स" प्रशिक्षण पुलिस के कार्य हेतु महत्वपूर्ण है तथा इसकी वरीयता पुलिस प्रशिक्षण में निर्धारित करना क्यों आवश्यक है? इस अंक में हम यह देखेंगे कि किस प्रकार सॉफ्ट स्किल्स के विभिन्न तत्व पुलिस कार्य में उपयोगी होते हैं तथा उनका समावेश प्रशिक्षण में आवश्यक होता है। अर्थात् इस अंक का प्रयोजन सॉफ्ट स्किल्स प्रशिक्षण के प्रमुख विषयों से अवगत कराना है, ताकि इस प्रशिक्षण के अंतर्गत शामिल किये जाने वाले प्रमुख विषयों की रूपरेखा तथा उसकी पुलिस कार्य के साथ प्रासंगिकता से पाठकों को अवगत कराया जा सके।

सॉफ्ट स्किल्स प्रशिक्षण में विभिन्न तत्वों का समावेश है, जिन्हें मुख्य रूप से चार भागों में बाँटा जा सकता है। पहले भाग में मानव व्यवहार तथा मनोविज्ञान से जुड़े तत्व, दूसरे भाग में व्यक्तित्व विकास तथा संवाद कौशल से जुडे तत्व, तीसरे भाग में प्रबन्धन कौशल तथा मानव संसाधन तथा प्रबन्धन से जुड़े तत्व तथा चौथे भाग में मूल्य, नैतिकता एंव चारित्रिक गुणों से जुड़े तत्व शामिल किये जाते हैं। इन समस्त तत्वों का सीधा सम्बन्ध पुलिस के कार्यक्षेत्र को ध्यान में रखकर ही प्रशिक्षण में शामिल किया जाता है। हालांकि, यह तत्व विभिन्न कार्यक्षेत्रों के लिये कुछ हद तक समान होते हैं परन्तु विशिष्ट कार्यक्षेत्रों के लिये उनकी प्रासंगिकता अलग–अलग हो जाती है। प्रथम भाग में हम दो तत्वों का वर्णन करेंगे जिसमें मानव व्यवहार तथा मनोविज्ञान एवं व्यक्तित्व विकास तथा संवाद कौशल से जुड़े तत्व शामिल हैं :

१. मानव व्यवहार तथा मनोविज्ञान : इस सॉफ्ट स्किल्स प्रशिक्षण विषय के अंतर्गत विभिन्न तत्वों का समावेश किया जाता है जो मानव के मनोविज्ञान से जुड़े होते हैं और सीधा दृष्टिकोण तथा व्यवहार पर प्रभाव डालते हैं। चूंकि पुलिस का कार्य मानवीय व्यवहारों के अंतर्सम्बन्धों पर केन्द्रित है तथा इसके अंतर्गत पुलिस का सीधा सम्पर्क जनता से लगातार बना रहता है ऐसी स्थिति में मनोविज्ञान के प्रमुख तत्वों की सीधी तथा सरल समझ तथा मानव व्यवहार को निर्धारित करने वाले प्रमुख कारकों की समझ विकसित करना प्रशिक्षण का उद्देश्य होता है। इस प्रकार के प्रशिक्षण का प्रमुख लक्ष्य दृष्टिकोण तथा व्यवहार सम्बन्धी कौशल विकसित करना होता है जो एक पुलिसकर्मी को बेहतर सेवा प्रदान करने तथा कार्य निष्पादन करने हेतु सक्षम बना सके।

इसके अंतर्गत मनोविज्ञान के प्रमुख तत्व, मनोविज्ञान को प्रभावित करने वाले सामाजिक तथा सांस्कृतिक कारक, विश्वास, मूल्य तथा दृष्टिकोण का निर्माण तथा दृष्टिकोण का पूर्वाग्रह से सम्बन्ध एवं इनका व्यवहार पर प्रभाव, विशिष्ट प्रशिक्षण तत्व होते हैं। अभिप्रेरण (मोटीवेशन) क्या होता है तथा अच्छा एवं बेहतर कार्य करने की प्रेरणा किस प्रकार कार्य को प्रभावित करती है, इस दिशा में एक प्रमुख प्रशिक्षण विषय माना गया है। समूह के अंदर का व्यवहार तथा पुलिस का समूह के रूप में कार्य सम्पादन, अंतर्समूह सम्बन्ध ही इस श्रेणी में शामिल तत्व हैं। रचनात्मकता तथा कुछ नया व बेहतर करने की इच्छाशक्ति भी इस विषय में शामिल तत्व हैं।

पुलिस के मैदानी कार्य से सीधे जुड़े तत्व जैसे अपराधियों के मनोविज्ञान को समझना, अपराधियों के हाव–भाव तथा शारीरिक संकेतों को समझना, भीड़ के मनोविज्ञान को समझना, भीड़ में पुलिस के व्यवहार तथा संतुलन की आवश्यकताओं को समझना, उग्र भीड़ की परिस्थितियों में व्यवहारगत विशिष्टताओं की समझ तथा पुलिस कार्य–कौशल की आवश्यकताओं का ज्ञान, पीड़ित के मनोविज्ञान को समझना, पीड़ित के साथ व्यवहार तथा संवेदनशीलता की आवश्यकताओं के मनोवैज्ञानिक विश्लेषण की समझ विकसित करना, विभिन्न सामाजिक तथा सामुदायिक परिवेशों में आचरण, व्यवहार तथा संवेदी व्यवहारगत कौशल की आवश्यकताओं की समझ विकसित करना भी इस प्रकार के प्रशिक्षण का एक प्रमुख अंग है। पुलिस का, कानून का पालन कराने वाली एजेंसी के रूप में भूमिका के संदर्भ में तथा समाज की विभिन्न जटिलताओं को ध्यान में रखते हुए प्रजातांत्रिक मूल्यों का संवर्धन करते हुए पुलिस के व्यवहार तथा कौशल विकास के अंतर्गत इन तत्वों का प्रशिक्षण में समावेश अत्यंत आवश्यक है।

२. व्यक्तित्व विकास तथा संवाद कौशल : इसके अंतर्गत पुलिस के कार्य से जुड़ी व्यक्तित्व विकास की आवश्यकताओं का समावेश किया जाता है तथा इस प्रकार के व्यक्तित्व गुणों के विकास पर बल दिया जाता है। इसके साथ ही इस प्रकार के प्रशिक्षण में संवाद कौशल को एक प्रमुख स्थान प्रदान किया जाता है। यह विडम्बना है कि संवाद कौशल अन्य कार्यक्षेत्रों में एक प्रमुख प्रशिक्षण लक्ष्य के रूप में विगत कई दशकों से माना जाता रहा है परन्तु पुलिस का कार्यक्षेत्र जो पूर्णत : जनोन्मुखी तथा दिन –प्रतिदिन के अंतर्सम्बन्ध तथा संवाद आवश्यकताओं से जुड़ा हुआ कार्यक्षेत्र है, उसमें संवाद तथा संप्रेक्षण कौशल की बहुत आवश्यकताओं को महत्व मिलना बहुत विलम्ब से प्रारम्भ हुआ है। विगत दो दशकों से ही इस कौशल के विकास को महत्व दिया जाना प्रारम्भ हुआ है।

व्यक्तित्व विकास के अंतर्गत व्यक्तित्व के सिद्धांत, स्वयं का बोध, व्यक्तित्व का निर्माण, व्यक्तित्व गुणों की पहचान, बाह्य व्यक्तित्व तथा आंतरिक व्यक्तित्व की समझ तथा इन दोनों में अंतर, प्रत्येक व्यक्तित्व की निजता तथा व्यक्तिगतता की समझ इसके लिये आवश्यक तत्व माने गये हैं। इसी के साथ व्यक्तित्व का मूल्यांकन, सम्पूर्ण व्यक्तित्व को निखारने हेतु आवश्यक तत्व, शिष्टाचार, व्यवहार, समानता तथा संवेदनशीलता व्यक्तित्व गुणों के विकास के लिये आवश्यक माने गये हैं। अच्छा स्वास्थ्य तथा व्यक्तिगत स्वच्छता, व्यक्तिगत सजावट (ग्रूमिंग), यूनिफार्म पहनने की मर्यादायें, सामान्य परिधान पहनने की मर्यादायें, भोजन का शिष्टाचार इत्यादि भी इसमें शामिल हैं। स्वयं का सम्मान तथा दूसरों का सम्मान करने हेतु व्यक्तित्व गुणों का विकास इस प्रकार के कौशल हेतु आवश्यक तत्व हैं। वार्तालाप कौशल तथा स्वयं को प्रभावी रूप से प्रस्तुत करना व प्रभावित करना तथा विभिन्न सामाजिक तथा कानूनी मर्यादाओं के अंतर्गत स्वयं के व्यक्तित्व को समझना व स्वयं का प्रस्तुतीकरण करना भी महत्वपूर्ण गुण है जो पुलिस प्रशिक्षण में आवश्यक माने गये हैं। इसी के साथ स्त्रियों, बच्चों, वृद्धजनों, विकलांग व्यक्तियों, पीड़ित, शोषित तथा कमजोर वर्गों के साथ आचरण तथा अंतर्सम्बन्ध व संवाद आवश्यकताओं को भी आवश्यक व्यक्तित्व विकास गुण पुलिस प्रशिक्षण में माना जाता है।

व्यक्तित्व विकास के गुणों के साथ ही संवाद कौशल अत्याधिक महत्वपूर्ण गुण है, जिसके अंतर्गत संवाद के प्रमुख तत्व, मनोविज्ञान का संवाद पर प्रभाव तथा मनोविज्ञान व संवाद का अंतर्सम्बन्ध तथा इसकी समझ विकसित करना प्रशिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है। मौखिक संवाद के अंतर्गत विभिन्न प्रकार की संवाद आवश्यकताएं तथा कौशल विकास तथा इसका विभिन्न पुलिस कार्य आवश्यकताओं के अंतर्गत कौशल विकास भी शामिल है। लिखित संवाद तथा इसकी विशिष्ट आवश्यकताएं तथा इसके अंतर्गत पुलिस कार्यक्षेत्र के अनुरूप विशिष्ट कौशल विकास आवश्यकताओं का संज्ञान लेते हुए तथा कानूनी आवश्यकताओं के सम्बन्ध में पुलिस के लिखित संवाद के महत्व तथा उसके कौशल विकास को शामिल किया जाता है। चूंकि संवाद कौशल के अंतर्गत केवल मौखिक अथवा लिखित संवाद ही शामिल नहीं है अपितु बॉडी लैंग्वेज अथवा शारीरिक हाव–भाव का भी अत्याधिक महत्व है, इसलिये यह आवश्यक है कि संवाद कौशल के अंतर्गत बॉडी लैंग्वेज के विभिन्न तत्वों तथा उसका मनोविज्ञान से अंतर्सम्बन्ध की समझ विकसित करना तथा इस सम्बन्ध में उचित कौशल के निर्माण को भी प्रमुखता दी जाती है। संवाद कौशल के अंतर्गत पुलिस कार्यक्षेत्र की विभिन्न परिस्थितियों जैसे आम जनता के साथ संवाद, पीड़ित व्यक्तियों के साथ संवाद, महिलाओं के साथ संवाद, बच्चों के साथ संवाद, समाज के कमजोर वर्गों के साथ संवाद, अपने सहयोगियों व सहपुलिसकर्मियों के साथ संवाद, अपने से वरिष्ठ अधिकारियों के साथ संवाद, अपने से कनिष्ट पुलिसकर्मियों के साथ संवाद इत्यादि शामिल हैं। विशिष्ट पुलिस कार्य आवश्यकताओं में होने वाला संवाद जैसे उग्र भीड़ की परिस्थितियों में संवाद तथा संप्रेक्षण कौशल, धरना–प्रदर्शन आदि प्रतिकूल परिस्थितियों के समय संवाद तथा संप्रेषण कौशल, अन्य कानून–व्यवस्था सम्बन्धी परिस्थितियों में संवाद तथा संप्रेषण कौशल शामिल है। इसी के साथ अपराध की विवेचना से जुड़ी पुलिस कार्य आवश्यकताओं जैसे पीड़ित व्यक्ति तथा रिपोर्टकर्ता व्यक्ति के साथ संवाद कौशल तथा सुनने की कला, साक्षियों के साथ संवाद कौशल तथा सुनने व लिखने की कला, विशेषज्ञों तथा विधि–वैज्ञानिकों के साथ संवाद कौशल तथा सुनने व लिखने की कला, आरोपी व्यक्ति के साथ संवाद कौशल, इन्टरव्यूइंग स्किल्स (पूछताछ तथा साक्षात्कार लेना) तथा उसके मनोवैज्ञानिक पहलुओं की समझ तथा मनोवैज्ञानिक तत्वों का इस प्रकार के संवाद कौशल में उपयोग, न्यायालय में बयान देते समय विशिष्ट संवाद कौशल आवश्यकताओं की समझ तथा उनका विकास इत्यादि संवाद कौशल गुण हैं जिन्हें इस प्रशिक्षण विषय में प्रमुखता से समायोजित किया जाना चाहिये।

हमने इस अंक में सॉफ्ट स्किल्स के अंतर्गत शामिल होने वाले दो प्रमुख तत्वों के अंतर्गत आने वाले विषयों की रूपरेखा का अवलोकन किया है। अगले अंक में अन्य शेष दो तत्वों – प्रबन्धन कौशल तथा मानव संसाधन तथा मूल्य, नैतिकता एवं चारित्रिक गुणों से जुड़े तत्व के अंतर्गत शामिल विषयों की रूपरेखा का वर्णन किया जायेगा। समस्त चारों तत्वों की रूपरेखा को आत्मसात करने के उपरान्त हम प्रत्येक विषय का विस्तार से वर्णन करेंगे

– श्री विनीत कपूर
ए.आई.जी., मध्यप्रदेश पुलिस

हम, *लोक पुलिस* के इस अंक में छपे लेखों के बारे में आपके विचार जानना चाहेंगे। कृपया अपने विचार हमें अवश्य भेजें। हम उन्हें आपके नाम या अज्ञात, जैसा आप चाहेंगे, *लोक पुलिस* में प्रकाशित करेंगे। आपकी महत्वपूर्ण राय ही बदलाव लाएगी।

क्या आप जानते हैं?

इस स्तम्भ के अंतर्गत हम इस अंक से अगले कुछ अंकों तक बाल यौन शोषण और बाल हिंसा से सम्बन्धित कानूनों, नियमों और सर्कुलरों के बारे में जानकारियाँ उपलब्ध कराएंगे। वर्तमान समय में बच्चों के प्रति यौन हिंसा और अन्य प्रकार के दुर्व्यवहारों से निपटने के लिए दो विशेष कानून बनाए गए हैं– *बाल न्याय (देखरेख एवं संरक्षण) अधिनियम २००० एवं यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा अधिनियम २०१२* तथा उच्चतम न्यायालय और अन्य उच्च न्यायालयों के दिशा निर्देश तथा सर्कुलर आदि जो बच्चों की सुरक्षा से सम्बन्धित विभिन्न पहलुओं पर समय–समय पर जारी किये जाते हैं। इसी संदर्भ में, अप्रैल २०१३ में दिल्ली बाल अधिकार सुरक्षा आयोग (डी.सी.पी.सी.आर.) द्वारा बाल प्रताड़ना को रोकने के लिये दिशा–निर्देश का मसौदा तैयार किया गया है इस दिशा–निर्देश के अधिसूचित होने के बाद हम इसका सारांश भी इस स्तम्भ में प्रस्तुत करेंगे। इससे पहले हम यौन अपराधों से *बच्चों की सुरक्षा अधिनियम २०१२* तथा *यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा नियमावली २०१२* के विशेष बिन्दुओं को आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत कर रहे हैं।

यौन अपराधों से बच्चों की सुरक्षा

उपरोक्त कानूनों के अन्तर्गत विभिन्न अपराध और उसके लिए निर्धारित दण्ड इस प्रकार हैं:–

बच्चों के विरुद्ध अपराध	दण्ड
वेधनीय यौन प्रहार • अगर कोई व्यक्ति किसी बच्चे की योनि, मुंह, मूत्रमार्ग या गुदा में अपना लिंग किसी भी हद तक घुसाये या किसी दूसरे व्यक्ति से ऐसा करवाना, • इसके अलावा अगर कोई व्यक्ति किसी बच्चे की योनि, मुंह, मूत्रमार्ग या गुदा में लिंग के बजाय शरीर का कोई दूसरा भाग या वस्तु घुसाये या बच्चे से अपने या किसी अन्य व्यक्ति के साथ करवाना, • कोई व्यक्ति यह बच्चे के शरीर के किसी भी भाग को चालाकी से इस प्रकार मोड़ें या घुमाये कि उसकी योनि में छेदन हो या बच्चे से उसके या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करवाना, • कोई व्यक्ति अपना मुंह बच्चे के लिंग, योनि, मूत्रमार्ग या गुदा पर लगाये या बच्चे से उसके या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करवाये तो वह छेदक यौन अपराध करेगा। (धारा–३)	कम से कम ७ वर्षों का दण्ड और अधिक से अधिक आजीवन कारावास और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। (धारा–४)
संगीन वेधनीय यौन प्रहार • किसी भी वेधनीय यौन प्रहार को संगीन यौन प्रहार तब कहा जाएगा जब वह किसी भी ऐसे व्यक्ति के द्वारा किया जाए जिसके साथ बच्चे का अभिभावक, संरक्षक या देख रेख या विश्वास का रिश्ता हो जैसे कि – कोई पुलिसकर्मी, शिक्षक, रिश्तेदार, डॉक्टर आदि या • जब किसी बच्चे के साथ वेधनीय यौन प्रहार के लिए घातक पदार्थों का उपयोग किया जाए या • जब वेधनीय यौन प्रहार किसी १२ वर्ष से कम उम्र के बच्चे के साथ किया जाए आदि। (धारा–५)	कम से कम १० वर्ष तक कठोर कारावास और अधिक से अधिक आजीवन कठोर कारावास व जुर्माना (धारा–६)
यौन प्रहार • जो कोई भी कामुक मंशा से किसी बच्चे की योनि, लिंग, गुदा या छाती को छुए या बच्चे से अपने या किसी अन्य व्यक्ति के साथ ऐसा करवाये,या • कोई ऐसा शारीरिक सम्पर्क स्थापित करे जिसमें भेदन सम्मिलित न हो। (धारा–७)	कम से कम ३ वर्ष और अधिक से अधिक ५ वर्ष और जुर्माना। (धारा–८)
संगीन यौन प्रहार • यदि बच्चे के साथ यौन प्रहार और किसी पुलिस अधिकारी, सेना के सदस्य, किसी सरकारी अधिकारी या किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा किया	कम से कम ५ वर्ष और अधिक से अधिक ७ वर्ष और जुर्माना। (धारा–१०)
जाए जिसके साथ आमतौर पर बच्चे का विश्वास, संरक्षण और देख रेख का सम्बन्ध हो जैसे कि – अस्पताल के प्रबन्धन का सदस्य, शिक्षक, रिश्तेदार आदि या, • यौन प्रहार सामूहिक रूप में किया गया हो, • यौन प्रहार के लिए घातक हथियार का उपयोग किया गया हो, • जिससे बच्चे को एच.आई.वी. या अन्य किसी भी प्रकार का संक्रमण हो गया हो, या • जिससे बच्चा शारीरिक या मानसिक रूप से असमर्थ हो जाए, आदि। (धारा–९)	
यौन उत्पीड़न • अगर कोई व्यक्ति कामुक मंशा से कोई बात कहता है, आवाज़ निकालता है या शरीर के किसी भाग को बच्चे को दिखलाता है, या • बच्चे के शरीर के किसी भाग की प्रदर्शनी अपने सामने या किसी अन्य व्यक्ति के सामने करवाता है, • बच्चे को कोई अश्लील सामग्री दिखाता है, आदि। (धारा–११)	३ वर्ष तक का कारावास और जुर्माना। (धारा–१२)
बच्चे का अश्लील मकसद के लिए उपयोग • बच्चे के यौन अंगों का मीडिया के किसी भी माध्यम द्वारा प्रदर्शन, • बच्चे का अश्लील और गंदे तरीके से प्रस्तुत करना, आदि। (धारा–१३)	५ वर्ष कारावास और दुर्माना तथा दूसरी बार ७ वर्ष और जुर्माना। (धारा–१४ (१))

उपरोक्त कानून के अन्तर्गत पुलिस से सम्बन्धित मुख्य बातें :

• इसके नियम ४(१) के अनुसार जब भी कोई व्यक्ति या स्वयं बच्चा अपराध की सूचना देता है तब, स्थानीय पुलिस अधिकारी या स्पेशल जुवेनाईल पुलिस को चाहिए कि वह उसे तुरन्त अपना नाम, पद, पता, फोन नम्बर बताए और अपने पर्यवेक्षक अधिकारी का भी नाम, पद और सम्पर्क विवरण उन्हें दे।

• इसके बाद उक्त पुलिस अधिकारी को इसकी सूचना के लिए उपलब्ध रजिस्टर में प्रविष्टि नम्बर भी अंकित करना चाहिए।

• इसके बाद इस कानून की उचित धाराओं के अंतर्गत एफ.आई.आर. दर्ज करना चाहिए।

• अगर रिपोर्ट किसी बच्चे के द्वारा दर्ज कराई जा रही है तब, इसकी भाषा सरल रखी जाए ताकि बच्चे को ठीक से बात समझ आ जाए। अगर बच्चे को पुलिस अधिकारी की भाषा नहीं समझ आती है तो पुलिस किसी व्यावसायिक अनुवादक की सहायता ले सकती है जिसकी फीस राज्य सरकार जुविनाईल पुलिस यूनिट कोष से या किसी भी अन्य कोष से देगी।

• पुलिस अधिकारी या जुविनाईल पुलिस को रिपोर्ट दर्ज होने के २४ घण्टों के भीतर इसकी सूचना बाल कल्याण समिति और विशेष अदालत या अगर विशेष अदालत नौजूद न हों तब, सत्र न्यायालय को देनी चाहिए जिसमें यदि बच्चे को देख रेख की आवश्यकता हो तब वह भी बताया जाए और उसके लिए अधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में दोनों संस्थाओं को भी सूचित किया जाए।

• पुलिस अधिकारी या जुविनाईल पुलिस को चाहिए कि चिकित्सीय या अन्य प्रकार की देखरेख की सहायता की ज़रूरत होने पर इसका कारण दर्ज करके पीड़ित को अति शीघ्र आवश्यक सहायता उपलब्ध कराएं। तुरन्त अस्पताल ले जाकर चिकित्सा जाँच कराई जाए।

• अगर पुलिस अधिकारी या जुविनाईल पुलिस अधिकारी को छेदक यौन प्रहार, संगीन छेदक यौन प्रहार, यौन प्रहार या संगीन यौन प्रहार (क्रमशः उक्त अधिनियम की धारा ३,५,७ एंव ९) की सूचना प्राप्त होती है तब पीड़ित को जितनी जल्दी सम्भव हो और २४ घण्टों के भीतर आपातकालीन चिकित्सा सेवा उपलब्ध कराना चाहिए।

• पुलिस अधिकारी या जुविनाईल पुलिस अधिकारी द्वारा आपातकालीन चिकित्सा के दौरान किसी भी प्रकार के फौरेंसिक साक्ष्य को एकत्रित किया जाना चाहिए।

• पुलिस अधिकारी या जुविनाईल पुलिस को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि फौरेंसिक जाँच के लिए एकत्रित नमूने को तुरन्त परीक्षण के लिए लैब में भेज दिया जाए।

• इसके बाद बच्चे या उसके माता पिता, अभिभावक या विश्वास पात्र लोगों को उपलब्ध सहायक व्यवस्थायें जैसे कि परामर्शदाता की सेवा लेने के अधिकार और वकील से परामर्श लेने के अधिकार आदि के बारे में सूचित करें और उन तक पहुंचने में इनकी सहायता करें।

• अगर पुलिस अधिकारी या जुविनाईल पुलिस को इस कानून के अंतर्गत जिस बच्चे के विरुद्ध अपराध होने, घटित होने की सम्भावना की सूचना प्राप्त होती है और उस बच्चे को माता पिता या अभिभावक के सहारा नहीं प्राप्त होता है तब, वे सूचना मिलने के २४ घण्टों के भीतर उस बच्चे को विस्तृत आकलन के लिए या अगर उसे देख रेख और संरक्षण की आवश्यकता हो तब, इसके लिए लिखित कारण के साथ उसे बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत करना चाहिए।

• बच्चे का बयान दर्ज करते समय पुलिसकर्मी सादे वस्त्र में होंगे।

• पुलिस किसी भी बच्चे को किसी भी मकसद के लिए रात के समय थाने में नहीं रखेगी।

• मजिस्ट्रेट या पुलिस जहाँ सम्भव हो वहाँ बच्चे का बयान दर्ज करते समय इसकी ऑडियो–वीडियो रिकॉर्डिंग भी करेंगे।

• अगर बच्चा किसी शारीरिक या मानसिक दुर्बलता या असमर्थता के कारण वार्तालाप करने के लायक नहीं है तब पुलिस या मजिस्ट्रेट को किसी विशेष ज्ञानवाता, एक्सपर्ट की सहायता से उसकी बात समझनी होगी।

• पुलिस अधिकारी को यह सुनिश्चित करना होगा कि बच्चे की पहचान को मीडिया से तब तक सुरक्षित रखे जब तक कि ऐसा न करने के लिए अदालत आज्ञा दे।

• पुलिसकर्मियों को इस बात का ध्यान रखना होगा कि बयान, जाँच या अन्य किसी भी अवसर पर बच्चे और आरोपी को एक साथ न होने दें।

• इस कानून की धारा १९(२) के अंतर्गत यदि कोई स्थानीय पुलिस अधिकारी या स्पेशल जुवेनाईल पुलिस इस कानून के अंतर्गत अपराध की रिपोर्ट नहीं दर्ज करता है तो, उसे ६ महीने के कारावास का या जुर्माने का या दोनों ही का दण्ड दिया जाएगा।

• इस कानून की धारा ६ के अंतर्गत अगर कोई पुलिसकर्मी छेदक यौन प्रहार करने का दोषी पाया जाए तो उसे अति संगीन (Aggravated) छेदक यौन प्रहार माना जाएगा और दण्ड इसी के अनुसार न्यूनतम १० वर्ष का कठोर कारावास और अधिकतम आजीवन कारावास और जुर्माना भी लगाया जाएगा।

अन्य मुख्य बातें :

• इस कानून के अंतर्गत बच्चे के लिए आयु सीमा १८ वर्ष है और इसमें बच्चे के लिंग के बारे में कुछ नहीं कहा गया है। इसलिए, यह लड़के और लड़कियों दोनों के विरुद्ध यौन हिंसा के केसों में लागू होगा।

• इस कानून के अंतर्गत केसों की सुनवाई के लिए स्पेशल कोर्ट स्थापित करने को कहा गया है जिसके पास एक सत्र न्यायालय के अधिकार होंगे।

• साथ ही, इसके लिए स्पेशल पब्लिक प्रोसीक्यूटर (लोक अभियोजक) की नियुक्ति करने को भी कहा गया है, जिसके लिए नियुक्त किए जाने वाले वकील को कम से कम ७ वर्षों तक वकालत का अनुभव हो।

• अदालत में भी बच्चे की गवाही के समय आरोपी को सामने नहीं लाना होगा जबकि आरोपी को अधिकार होगा कि वह बच्चे के समूचे बयान को सुन और देख सके। इसके लिए अदालत पर्दा, एक ओर प्रदर्शित वाला आईना या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का उपयोग कर सकती है।

• बच्चे को अंतरिम और अंतिम मुआवज़ा प्राप्त करने का भी अधिकार है जोकि सरकार द्वारा दिया जाएगा। इसके लिए अपराधी का दण्ड पाना अनिवार्य नहीं है बल्कि अपराध का घटित होना और एफ.आई.आर. दर्ज होना ही मायने रखता है।

• इस कानून के अंतर्गत मीडिया, स्टूडियो मालिक या फोटोग्राफी सेवा प्रदाताओं को भी बच्चों के यौन शोषण से सम्बन्धित किसी भी सामग्री के बारे में जानकारी मिलने पर इसकी सूचना स्पेशल जुविनाईल पुलिस या स्थानीय पुलिस अधिकारी को देने के लिए बाध्य किया गया है।

हालांकि, इस कानून को लागू हुए अभी ६–७ महीने ही हुए हैं और यह निःसंदेह एक कारगर कानून है। लेकिन, किसी कानून की सफलता उसके अंतर्गत अपराधसिद्धि दर से ही लगाया जाता है जिसके लिए उचित जाँच का होना सबसे महत्वपूर्ण है। हम आशा करते हैं कि सभी पुलिसकर्मी इस कानून को अच्छी तरह समझ कर अपने काम में इसकी सहायता लेंगे ताकि अपराधियों को दण्ड दिलाया जा सके और बच्चों के विरुद्ध नित नये और बढ़ते अपराधों को रोकने में समाज की सहायता की जा सके।

– जीनत मलिक

आपके विचार

महोदया,

लोक पुलिस के कई अंकों में बूझो और जीतो खण्ड में प्रश्नों का चयन हमारे काम के लिए बहुत लाभकारी है। वास्तव में, उन्हें पढ़ने के बाद ऐसा प्रतीत होता है कि यह सब तो हम प्रतिदिन करते हैं। लेकिन, जब उनके प्रावधानों को स्मरण करने की बात आती है तब ज्ञात होता है कि इसका कितना महत्व हमारे काम में होता है और हमसे कहाँ चूक हो सकती है। यह भाग बेहद रोचक भी लगता है और अपने ज्ञान के स्तर का मूल्यांकन करने का अवसर भी प्रदान करता है।

इस संदर्भ में मेरा यह निवेदन है कि हाल ही में आपराधिक कानूनों में हुए संशोधनों एंव अन्य नए कानूनों के बारे में क्रमबद्ध तरीके से सवाल पूछे जाएं ताकि प्रत्येक अंक में एक विशेष कानून का ज्ञान हो सके।

धन्यवाद!
ए.एस.आई. नोकारो
सदस्य, झारखण्ड पुलिस

सम्पादक जी,
नमस्कार!

अप्रैल में प्रकाशित साक्षात्कार से हमें राष्ट्रीय पुलिस अकादमी द्वारा दिये जा रहे प्रशिक्षण पाठयक्रमों के बारे में जानकारी प्राप्त हुई और यह भी ज्ञात हुआ कि हमारे स्तर पर दिये जाने वाले प्रशिक्षण में और हमारे अधिकारियों द्वारा प्राप्त प्रशिक्षणों में कितना अन्तर होता है। लेकिन, मैं इस बात का आभारी हूँ कि किसी ने तो हमें भी सॉफ्ट स्किल प्रशिक्षण प्रदान किये जाने की आवश्यकता पर बल दिया।

फील्ड पुलिसकर्मियों युवा जनता से व्यवहार को प्रायः नकारा जाता है तथा इसकी आलोचना की जाती है, लेकिन किसी भी चरण में उन्हें कोई भी अधिकारी यह नहीं बतलाता कि उक्त स्थिति के किस प्रकार पीड़ितसे बात करें और कैसे आवश्यक जानकारी प्राप्त करें।

आशा है, सॉफ्ट स्किल पर लेखों की श्रृंखला प्रस्तुत करने की योजना के अंतर्गत इन विषयों पर भी सुझाव दिये जाएंगे।

सब–इंस्पेक्टर, रोहतक
सदस्य, हरियाणा पुलिस

आदरणीय,
सम्पादिका महोदया नमस्कार!

मैं बिहार राज्य के एक छोटे से जिले शिवहर के पुरनडिया थाने का एस. एच.ओ. हूँ। मुझे यहाँ पदस्थापित हुए दो वर्ष हो गए हैं। मैं अपने क्षेत्र में अमन व शान्ति बनाये रखने के लिए सदैव प्रयासरत रहता हूँ। एक ईमानदार पुलिस अफ़सर होने के नाते अपनी ड्यूटी का निष्ठापूर्वक पालन करता हूँ। मैं गत महीनों से आपकी पत्रिका *लोक पुलिस* को पढ़ रहा हूँ। इसमें छपी सभी ज्ञानवर्द्धक जानकारियाँ हमारे लिए बहुमूल्य होती हैं। पत्रिका के कवर पेज पर प्रकाशित साक्षात्कार का कॉलम हम सब में एक नया जोश और उत्साह भर देता है। उनके द्वारा किये जा रहे कार्यों से हमें भी प्रेरणा लेनी चाहिए और एक ईमानदार पुलिस अफ़सर बनना चाहिए।

इस पत्रिका का प्रकाशन एक सराहनीय प्रयास है और हम इसके लिए आभार व्यक्त करते हैं। एक बार फिर से साधुवाद धन्यवाद!

श्री निशान्त गौरव (एस.एच.ओ.)
पुरनडिया थाना
बसंत पट्टी, ज़िला–शिवहर
बिहार–८४३३३४

पुलिस समाचार- हर कोने की हलचल

क्या कांस्टेबुलरी का पद समाप्त होगा?

केन्द्र सरकार ने इसी वर्ष अप्रैल में दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग (प्र.सु.आ.) द्वारा सभी राज्यों को वर्तमान में प्रचलित सिविल पुलिस में कांस्टेबुलरी व्यवस्था को समाप्त कर इसकी जगह स्नातक स्तर के ए.एस.आई. की भर्ती करने का प्रस्ताव भेजा है। यदि ऐसा होता है तब १५२ वर्ष पुरानी कांस्टेबुलरी की समाप्ति हो जाएगी।

प्र.सु.आ. के अनुसार यह बदलाव कुछ समय के बाद, कांस्टेबुलरी की भर्ती को समाप्त कर इसके बदले उचित संख्या में ए.एस.आई. स्तर के पुलिसकर्मियों की भर्ती से लाया जा सकता है।

हालांकि, सैन्य दलों में कांस्टेबल स्तर पर भर्ती जारी रहेगी और भर्ती की प्रक्रिया पारदर्शी और वस्तुनिष्ठ होनी चाहिए।

प्र.सु.आ. का यह भी प्रस्ताव है कि समाज के हर वर्ग के लोगों को पुलिस में भर्ती लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। इसे सहज बनाने के लिए भर्ती अभियान चलाया जाना चाहिए।

वर्तमान समय में आम तौर पर कांस्टेबुलरी स्तर पर केवल १०वीं पास व्यक्तियों को लिया जाता है जबकि प्र.सु.आ. के अनुसार पुलिस सुधार के अंतर्गत 'शुरूआती स्तर पर इनकी शैक्षणिक योग्यता कम से कम स्नातक हो और इसके लिए उन्हें ए.एस.आई. की नामावलि दी जानी चाहिए।' सरकार द्वारा प्रस्तावित ये सुझाव देश के ८०% पुलिसबल अर्थात कांस्टेबुलरी की समाप्ति की मांग कर रहा है, जिसकी न तो आवश्यक्ता है और न ही व्यवहारिक है। इसपर गहन चिंतन की आवश्यक्ता है।

(सौजन्य : ईकनामिक्स टाईम्स डॉट इंडिया टाईम्स डॉट कॉम, २१ अप्रैल २०१३)

सर्वश्रेष्ठ प्रगतिशील सांझ प्रचलन!

भवानीगढ़ थाना और मानसा सांझ केन्द्र को अल्टस ग्लोबल अलायंस द्वारा आयोजित वार्षिक थाना वीक्षण कार्यक्रम सप्ताह में चार स्थानों – असम, चण्डीगढ़, मेघालय और पंजाब के ३६६ थानों में से सबसे अच्छे थाने और सांझ केन्द्र के रूप में सम्मानित किया गया।

यहाँ इस बात का उल्लेख करना आवश्यक है कि नागरिकों के समूहों द्वारा थानों का यह वार्षिक वीक्षण सार्वभौमिक रूप से अल्टस ग्लोबल अलायंस द्वारा संचालित किया जाता है ताकि पुलिस सेवा के पाँच परिमाण – भौतिक स्थिति, जनता के साथ आयु, लिंग, नस्ल, राष्ट्रीयता, अल्पसंख्यक या लैंगिक रुझान के आधार पर व्यवहार में असमानता का न होना, पारदर्शिता और जवाबदेही, और हिरासत की स्थिति के आधार पर तुलनात्मक आंकड़े पैदा कर सके।

पंजाब में, इस वार्षिक प्रोग्राम को सांझ सामुदायिक कार्यक्रम के साथ जोड़ दिया गया था और मानसा के सांझ केन्द्र को नागरिकों द्वारा सर्वोत्तम माना गया है। पंजाब के सेवा के *अधिकार अधिनियम* के अंतर्गत तकरीबन १७ लाख नागरिक पुलिस के सांझ केन्द्रों से सेवा प्राप्त करते हैं।

पंजाब के ए.डी.जी.पी. श्री एस.के.शर्मा ने यह भी कहा है कि पंजाब में सामुदायिक पुलिसिंग प्रोग्राम को पुलिस सुधार से जोड़ दिया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य पुलिसिंग में नागरिक भागीदारी द्वारा सर्विस डिलिवरी को सुधारना है।

इस प्रतिस्पर्धा में भाग लेने वाले चार राज्यों के ३६६ थानें ३,६४६ नागरिकों का अपने थाने में स्वागत करते हैं। इन नागरिकों में गैर सरकारी संगठनों के सदस्य, नागरिक कल्याण एसोसिएशन के सदस्य, मार्केट समिति के सदस्य, वकील, महिलाएं, गाँव के प्रतिनिधि, झुग्गियों के निवासी तथा छात्र और सिविल सोसाईटी के सदस्य भी सम्मिलित हैं। इस वर्ष, पंजाब के भवानीगढ़ के संगरूर थाने को पुरस्कृत किया गया है। इसके अलावा चण्डीगढ़ के सेक्टर १७ थानों को भी अपने कार्य–निष्पादन में अनुरूपता रखने के लिए पुरस्कृत किया गया।

पंजाब प्रशासन सुधार आयोग के अध्यक्ष डा. प्रमोद कुमार के अनुसार–'पंजाब में सामुदायिक पुलिसिंग सांझ केन्द्रों की स्थापना ने पुलिस सेवाओं तक पर्याप्त पहुँच और सम्मान दोनों ही सुनिश्चित किया है।' क्षेत्र में रहने वाले लोगों और सांझ केन्द्रों के सदस्यों द्वारा पुलिस सुधार को निरंतरता मिल सकती है।

कई स्थानों पर सामुदायिक पुलिसिंग के द्वारा पुलिस ने जनता के साथ मिलकर कई सफल नवाचार किये हैं और इससे पुलिस–जनता के सम्बन्ध में विश्वास पैदा हुआ है। पंजाब के इस सांझ प्रोग्राम की ही तरह दूसरे स्थानों पर भी पुलिस को ऐसी शुरुआत करनी चाहिए।

(सौजन्य : टाईम्स ऑफ इंडिया डॉट इंडिया टाईम्स डॉट कॉम, ३० अप्रैल २०१३)

पुलिस बर्बरता का एक और स्वरूप!

उत्तर प्रदेश पुलिस की बर्बरता की एक और कहानी मई के मध्य में तब देखने को मिली जब एटा ज़िले में एक व्यक्ति ने मीडिया के समक्ष दिये गये अपने बयान में एटा पुलिस पर गुनाह कबूली के लिए उसे तेज़ाब और पेट्रोल का इंजेक्शन देने का आरोप लगाया। उसने यह कथन कैमरे के समक्ष अस्पताल के बिस्तर से दिया और इसे सारे देश ने देखा। उसने अपने कथन में जिसे दोषी बताया वह थाने का कोई साधारण सिपाही नहीं था, बल्कि वह थाना प्रभारी था जिसके निर्देश के अनुसार बलबीर, जोकि अब इस दुनिया में नहीं है को इस हद तक प्रताड़ित किया गया कि उसके स्वास्थ्य ने उसका साथ छोड़ दिया। बलबीर व बनी खान को दो अन्य लोगों के साथ पिछले महीने पुलिस ने हत्या के आरोप में पकड़ा था और इन सबसे लगातार आरोप कबूलने के लिए दबाव डाल रही थी। इसके लिए पुलिस ने इन्हें तेज़ाब और पेट्रोल का इंजेक्शन दिया। फिर इन्हें जेल में भेज दिया गया लेकिन, वहाँ इनकी तबियत बिगड़ने के कारण इन्हें अस्पताल में लखनऊ के जार्ज अस्पताल में लाया गया, लेकिन बलबीर की मौत हो गई।

हालांकि, मीडिया के द्वारा पुलिस के अत्याचार की घटना सबके सामने आने के बाद उत्तर प्रदेश सरकार ने चार पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है लेकिन एस.एच.ओ. पर कार्यवाही नहीं हुई है।

मानवाधिकारों के हनन के सबसे अधिक केस राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की पिछली रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा दर्ज हुए थे। लेकिन, इसमें कहीं से कोई कमी प्रदेश में दिखाई नहीं देती है। सरकार के अनुसार पुलिस सुधार की बात प्रारंभ में की गई थी लेकिन 'सुधार' सबसे पहले कहाँ करना है अभी यह तय ही नहीं है। सबसे पहले पुलिसकर्मियों की मानसिकता को बदलने के लिए प्रशिक्षण पाठयक्रम और प्रशिक्षण शैली में बदलाव तुरन्त करने की आवश्यकता है न कि आधुनिक हथियार और नई ईमारतों के बनाने से पुलिस सुधार हो जाएगा। इसके साथ ही गंभीर अपराधों के पुलिस को भी आम नागरिकों की ही तरह दण्ड दिया जाना चाहिए।

जनता को सबसे पहले पुलिस द्वारा उचित सेवा प्राप्त होनी चाहिए न कि पुलिस का शासन। इसके लिए यदि नेतृत्व स्तर पर तुरन्त काम नहीं शुरू किया जाता है तब ऐसे ही बलबीर मरते रहेंगे और नित नई शर्मानाक सच्चाई हमारे सामने आती रहेगी। कुछ पुलिसकर्मियों का कुछ दिनों के लिए निलंबन होगा, पीड़ित को मुआवज़े के तौर पर कभी वादे तो कभी थोड़ी आर्थिक सहायता दी जाएगी लेकिन, समस्या ज्यों की त्यों बनी रहेगी।

(सौजन्य : न्यूज डॉट वन इंडिया डॉट इन, १९ मई २०१३)

पुलिस के विरूद्ध शिकायत के लिए फोरम

उच्चतम न्यायालय द्वारा इस संदर्भ में दिए गए निर्देश के ६ वर्ष के बाद, महाराष्ट्र में पुलिस की बरबंता, अहंकार, अनावश्यक कैद, हिरासत में दुर्व्यवहार, बलात्कार, यौन उत्पीड़न या भ्रष्टाचार के लिए नागरिकों द्वारा शिकायत करने के लिए आखिरकार एक आधिकारिक फोरम की स्थापना होने वाली है। राज्य सरकार ने पुलिस शिकायत प्राधिकरण के स्थापना की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

इससे पुलिस द्वारा लगातार बढ़ते अपराधों और अधिकारों के दुरुपयोग के केसों से अदालत का बोझ भी कुछ कम होगा और नागरिकों के अधिकारों के उल्लंघन के केसों में पुलिस के विरुद्ध उचित कार्यवाही भी हो सकेगी क्योंकि इस प्राधिकरण की सिफ़ारिशें केवल सुझाव नहीं होंगी बल्कि यह दूसरी एजेंसियों पर बाध्यकारी होंगी।

इस प्राधिकरण द्वारा सुनवाई किये जाने वाले शिकायतों में – हिरासत में मृत्यु, गम्भीर चोट या ज़ख्म, बलात्कार या बलात्कार की कोशिश, गैरकानी गिरफ़्तारी या कैद और भ्रष्टाचार का आरोप। इस प्राधिकरण के बनने से राज्य पुलिस के कार्य–कलाप में व्यापक परिवर्तन आने की आशा की जा रही है। विशेषकर तब जबकि प्राधिकरण को स्वतः ही किसी अवैधानिक घटना पर संज्ञान लेने का अधिकार होगा। इसके अलावा प्राधिकरण को यह भी अधिकार होगा कि वह इसे सीधे डी.जी.पी. को भेज दे। प्राधिकरण हर रैंक के पुलिस अधिकारियों के विरुद्ध शिकायत की सुनवाई कर सकेगी।

प्राधिकरण की स्थापना राज्य और ज़िला स्तर पर की जाएगी। राज्य स्तर के प्राधिकरण को एस.पी. और उससे बड़े अधिकारियों के विरुद्ध शिकायत सुनने का अधिकार होगा, ज़िला स्तर पर डी.एस.पी. स्तर तक के पुलिसकर्मियों के विरुद्ध शिकायत सुनी जा सकेगी।

राज्य स्तर के प्राधिकरण की अध्यक्षता उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत न्यायाधीश द्वारा की जाएगी और ज़िला स्तर पर ज़िला जज द्वारा इसके अलावा ४-५ पूर्णकालिक सदस्य सेवानिवृत प्रशासनिक अधिकारी, पुलिस अधिकरी और सिविल सोसाईटी के व्यक्ति होंगे। अदालत ने प्राधिकरण के गठन के लिए २० जून तक का समय दिया है।

गठन के समय ध्यान रखने की बात यह है कि प्राधिकरण के गठन में यदि सेवानिवृत पुलिसकर्मी भी किसी भी पद और कार्यभार को सम्भालने के लिए नियुक्त किये जाएंगे तो सम्पूर्ण कार्यशैली पर इसका कुप्रभाव होगा। क्योंकि, कहीं न कहीं विभागीय भाई चारा जाँच प्रक्रिया को निष्फल बनाने के लिए पर्याप्त होगा। हमने कई स्थानों पर शिकायतकर्ताओं से यह कथन सुना है कि जिस पुलिस अधिकारी के विरुद्ध उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है, कई बार उसी का साथी उनसे पूछ ताछ करने आते हैं, ऐसे में न्याय मिलने के बजाय उन्हें डर का आभास होता है। इसलिए, जनता में विश्वास पैदा करने के लिए प्राधिकरण के गठन में पुलिसकर्मियों की कोई भी भूमिका नहीं होनी चाहिए बेशक वे सेवानिवृत ही क्यों न हों।

(सौजन्य : हिन्दूस्तान टाईम्स डॉट कॉम २८ मई २०१३)

पृष्ठ १ का शेष ....

पर थाना स्तर पर दिये जाने की आवश्यकता है जिससे पुलिस का 'Non Lethal' and 'Non Contact Enforcement' पर जोर रहे जिससे न तो कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न कर रहे लोगों को कोई विशेष हानि हो व न ही पुलिस कर्मियों को कोई चोट आये। एक पारदर्शी स्थानान्तरण–पदस्थापन नीति की भी आवश्यकता है जिसमें प्रत्येक पुलिस अधिकारी को फील्ड के अलावा समस्त महकमों में भी रहने का अवसर मिले।

हाल ही में, दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग द्वारा सभी राज्यों से कांस्टेबुलरी को समाप्त कर सीधे स्नातक स्तर की शैक्षणिक योग्यता रखने वाले पुलिसकर्मियों को ए.एस.आई. के पद पर भर्ती करने की सिफ़ारिश की गई है। यदि ऐसा होता है तो पुलिस में किस प्रकार का 'सुधार' देखने को मिलेगा? आपके विचार में क्या ऐसा करने की आवश्यकता है?

मेरी राय में कांस्टेबुलरी के समस्त पद समाप्त करना उचित नहीं है। परन्तु हैड कांस्टेबल व सहायक उप निरीक्षक के पदों में अनुपातिक वृद्धि की नितान्त आवश्यकता है। मेरी राय में प्रत्येक कांस्टेबल को कम से कम १० वर्ष में पहली पदोन्नती व उसके पश्चात् हर ८वें वर्ष नियमित पदोन्नति आवश्यक रूप से अवश्य मिलनी चाहिये। यदि किसी का कार्य संतोषजनक नहीं हो तो उसकी विभाग से विदाई भी सरल की जानी चाहिये। इसके अतिरिक्त मेरी राय में आज पुलिस में बेरोजगारों की भीड़ में रोजगार तलाशने वाले युवा ज्यादा भर्ती होते हैं, इसमें कोई बुराई नहीं है लेकिन पुलिस का कार्य बाकी महकमों से बहुत भिन्न है जहाँ आप बड़ी संख्या में जनता से सम्पर्क कर उनकी समस्याओं का तब समाधान करते हैं जब वे अत्यन्त पीड़ा में होते हैं। अतः ऐसे व्यक्ति का पुलिस कर्मी /अधिकारी के रूप में चयन किया जाना चाहिये जिसके मन में समस्या समाधान का जज़्बा हो, जो धैर्यपूर्वक विपरीत परिस्थितियों में पीड़ितों की मदद कर सके व जो साहस रखकर राष्ट्र विरोधी तत्वों से भी कड़ा मुकाबला कर उन्हें सजा दिला सके। अतः मेरी राय में केवल दौड़ या शारीरिक परीक्षा के अलावा उसकी मानसिक स्थिति, स्वतः प्रेरणा व सहनशीलता की भी परीक्षा लेकर भर्ती किया जाना वर्तमान समय की मांग है।

प्रधान सम्पादक : ज़ीनत मलिक, बी–११७, दूसरा तल, सर्वोदय एनक्लेव, नई दिल्ली–११००१७, भारत
टेली :. ९१ ११ ४३१८ ०२००, फैक्स :. ९१ ११ २६८६४६८८, info@humanrightsinitiative.org, www.humanrightsinitiative.org